

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/गुप-2/2019

जयपुर, दिनांक : 15.02.2019

आदेश


मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 3305/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27.09.2018 की पालना में मा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. प्रीतम यादव, चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिसोदा, डूंगरपुर में कार्यग्रहण करवाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द्र जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 3305/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27.09.2018 को शीघ्र वैकेट कराये जाने की कार्यवाही करावें एवं डा. प्रीतम यादव, चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर से सीसीए नियम-17 के अन्तर्गत आरोप पत्रादि प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करावें।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, बांसवाडा।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर को प्रेषित कर लेख है कि डा. प्रीतम यादव, चिकित्सा अधिकारी ने मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3305/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27.09.2018 की पालना में बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये ही सीधे ही कार्यग्रहण किया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है। अतः उक्त कृत्य के लिए डा. यादव के विरुद्ध सीसीए नियम-17 के अन्तर्गत निदेशक, जन स्वास्थ्य को अविलम्ब आरोप पत्रादि भिजवावें।
6. संबंधित अधिकारी
7. कम्प्यूटर सेल
8. निजी /रक्षित पत्रावली


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव